न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी – कृष्णपाल सिंह चोहान – आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 07/2020 दायर दिनांक 18/12/2020

निर्णय दिनांक 08/02/2021

1. श्री माधवलाल पिता नगजी पाटीदार उम्र 58 साल निवासी सीमलवाडा फला पाडलिया वार्ड नं. 1 तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्री देवचंद पिता नूर जी भोई उम्र 78 साल निवासी सीमलवाडा मेन रोड सीमलवाडा बडोदा बैंक के सामने तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

समस्त ग्रामवासीयान सीमलवाडा द्वारा अधिकृत किये जाने से जन हित याचिका

बनाम

1. श्रीमति मीरां देवी पत्नि धनेश्वर पाटीदार उम्र 55 साल निवासी पाडलिया सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमति गीतादेवी पत्नि भगवती शंकर आचार्य उम्र 55 साल निवासी सीमलवाडा बैंक आफ बडोदा के पास तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
3. श्री भोपालसिंह पिता करणसिंह जी राजपुत उम्र बालिग निवासी सीमलवाडा फला रावला वारिस ठाकुर करणसिंह पिता गोपालसिंह राजपुत
4. श्री धनेश्वर पिता गमीरा पाटीदार उम्र 58 साल निवासी सीमलवाडा फला पाडलिया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
5. श्री सरकार जरिये तहसीलदार सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
6. श्री ग्राम पंचायत सीमलवाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

—— विपक्षीगण

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राज. टी. एक्ट

विषय – मोजा सीमलवाडा के तालाब ओटे के पानी निकासी खसरा नं. 242/2 रकबा 0–07 बिस्वा किस्म नहर को बिलानाम सरकार घोषित किये जाने बाबत

उपस्थित – प्रार्थीगण की ओर से – श्री अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट

विपक्षी नं. 1 से 4 की ओर से – श्री नरेश जोशी एडवोकेट

विपक्षी संख्या 5 की ओर से – स्वयं तहसीलदार

विपक्षी संख्या 6 की ओर से – सरपंच ग्राम पंचायत सीमलवाडा

प्रार्थीगण की ओर से जन हित याचिका मोजा सीमलवाड़ा के तालाब ओटे के पानी निकासी ओवरफ्लो खसरा नं. 242/2 रकबा 0–07 बिस्वा किस्म नहर के खसरा में दिये गये खातेदारी अधिकारों को विलोपित किये जाकर इस खसरा को नहर के रूप में ही रेवेन्यु रेकर्ड में रखे जाने हेतु रेफरेंस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

रेफरेंस का सारांश इस प्रकार है कि मोजा सीमलवाडा में तालाब ओटे के पानी की निकासी खसरा नं. 242/2 रकबा 0–07 बिस्वा में किस्म नहर से कदीमाना करीब 50 साल से भी अधिक समय से पानी की निकासी होने रहने की बिना पर उसे विपक्षी संख्या 1 ... मिट्टी से पाट देकर नहर पर पक्का निर्माण मकान ... नहर जो कि तालाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.26 10:27:47 IST
Reason: SelfAttested

ओटे के ओवरफ्लो पानी एवं गांव के गंदे पानी निकासी का एक मात्र रास्ता है को अवरूद्व कर दिया गया तो बारिश या अतिवृष्टि होने पर तालाब का पानी इसी खसरा नम्बर में से होकर निकलता है अवरूद्व हो जावेगा जिससे कि भारी जन धन की क्षति होगी इस लिए गत सेटलमेन्ट संवत 2008 में खसरा नं. 981 रकबा 1) एक बीघा होकर वर्तमान नं. 242 रकबा .।।) रेवेन्यु रेकर्ड में दर्ज हुआ है जो कि 10 बिस्वा पडत गत सैटलमेंट संवत 2008 में अंकन था , जो बाद में हुए सैटलमेंट संवत 2019 में नहर का अंकन हुआ है। इस 0–10 बिस्वा में से 03 बिस्वा आशा देवी पत्नी नन्दलाल जैन के नाम से जिसमें 0.01 बिस्वा नहर एवं 0.02 बिस्वा किस्म चा.वि., श्रीमती मीरा देवी पत्नी धनेश्वर पाटीदार के नाम से खसरा नम्बर 26/242 किस्म नहर एवं श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री भगवती शंकर आचार्य के नाम से खसरा नम्बर 242/2 0.04 बिस्वा का अंकन हुआ है जो वर्तमान रेवेन्यु रिकॉर्ड में अंकन चला आ रहा है इस प्रकार गत सैटलमेंट में पडत में तालाब का पानी बिखरा हुआ निकलने से हाल सैटलमेंट संवत 2019 में रेवेन्यु अधिकारीगण द्वारा मौके की वस्तुस्थिति के अनुसार पानी निकासी का तालाब का एकमात्र ऑवरफ्लो होने से पडत से किस्म नहर रकबा 07 बिस्वा है। इसलिए नहर की भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये गये हैं उन्हें विलोपित किये जाकर किस्म नहर रखा जाने हेतु रेफरेंस प्रस्तुत हुआ है। क्योंकि उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा के न्यायालय में पूर्व में रेवेन्यु वाद प्रस्तुत हुआ था जो प्रकरण संख्या 32/11 रेवेन्यु श्री गोरधन बनाम श्रीमती गीता देवी वगैराह जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय यह कहते हुए निस्तारित कर दिया कि वाद अब्दुल रहमान बनाम सरकार की श्रेणी में आने से खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार सीमलवाडा को रेफरेंस किये जाने पत्र दिनांक 28/02/2014 को जारी किया गया लेकिन तहसीलदार सीमलवाडा द्वारा रेफरेंस प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थीगण की ओर से समस्त ग्राम वासीयान सीमलवाडा की ओर से जनहित याचिका के रूप में यह रेफरेंस प्रस्तुत किया है।

रेफरेंस प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर विपक्षीगण नं. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता एवं नं. 5 की ओर से तहसीलदार एवं नं. 6 की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत सीमलवाडा उपस्थित आए एवं विपक्षीगण की ओर से रेफरेन्स का जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किये गये ।

प्रार्थीगण की ओर से रेफरेंस प्रस्तुत होने के साथ अपने रेफरेंस के समर्थन में दस्तावेज एनेक्सचर 1 तहसीलदार सीमलवाडा को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा द्वारा रेफरेंस की कार्यवाही किये जाने का पत्र दिनांक 28/02/2014 एनेक्सचर– 2 रेवेन्यु प्रकरण संख्या 32/2011 श्री गोरधन बनाम श्रीमति गीतादेवी वगैराह की समस्त प्रोसिडिंग दिनांक 21/04/2011 से 19/12/2013, एनेक्सचर–3 संवत 2014 के तुलनात्मक खसरा नं. 481 से 242 रकबा .।।), एनेक्सचर–4 संवत 2019 की खतोनी खसरा नं. 242 रकबा .।।) दस बिस्वा नहर, एनेक्सचर – 5 खतोनी संवत 2008 खसरा नं. 981 रकबा 1) बीघा किस्म पडत, एनेक्सचर – 6 खतोनी संवत 2019 खसरा नं0 242 रकबा .।।) दस बिस्वा किस्म नहर, एनेक्सचर – 7 ग्राम वासीयान द्वारा प्रार्थीगण को रेफरेंस प्रस्तुत करने अधिकार पत्र, एनक्सचर – 8 खतोनी हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.26 10:27:47 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नं. 2662/242 खातेदार श्रीमती मीरादेवी, एनेक्सचर – 9 खसरा नं. 242 नक्षा ट्रेस , एनक्सचर – 10 ग्रामवासीयान द्वारा जिला कलेक्टर को नाले पर निर्माण नहीं करने का आवेदन जनसुनवाई के दौरान, एनक्सचर – 11 ग्राम पंचायत सीमलवाडा द्वारा तहसीलदार सीमलवाडा को मीरा देवी द्वारा निर्माण करने की चेष्टा करने से रोके जाने हेतु पत्र दिनांक 14/12/2010, एनक्सचर – 12 प.ह. सीमलवाडा को तहसीलदार द्वारा खसरा नं. 242/2 रकबा 0–07 को मौका रिपोर्ट मंगवाए जाने से पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 27/11/2010, एनक्सचर – 13 पर्चा मौका खसरा नं. 2662/242/2 रकबा 3 बीघा नहर, एवं खसरा संख्या 242/2 का दिनांक 15/11/2010, एनक्सचर – 14 खतोनी हाल खसरा नं. 242/2 रकबा 0–07 नहर खातेदार भगवती शंकर के फोत होने पर उसकी पत्नि गीतादेवी के खाते दर्ज होकर उसके द्वारा रकबा 0–03 बिस्वा श्रीमति मीरा देवी को विक्रय करने से नवीन खसरा नं. 2662/242/2 की खतोनी, एनक्सचर – 15 ग्राम वासीयान द्वारा खसरा नं. 242 पर निर्माण होने से रोके जाने आवेदन जिला कलेक्टर महोदय डूंगरपुर को, एनक्सचर – 16 तहसीलदार सीमलवाडा द्वारा दिनांक 11/02/2012 को ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासीयों के प्रतिनिधि जयन्तिलाल को जारी पत्र, एनक्सचर – 17 पंचायत समिति सीमलवाडा द्वारा जन प्रतिनिधि जयन्तिलाल भोई को जारी पत्र, एनक्सचर – 18 खसरा संख्या 2662 रकबा 0. 243 नहर खातेदार मीरादवी की हाल खतोनी, प्रस्तुत किये हैं ।

विपक्षी नं. 1 से 4 की ओर से रेफरेंस का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अधिकांश तथ्यों को इंकार किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य में एक खतोनी प्रस्तुत की है जो एनक्सचर ए – 1 है जो विवादित खसरा नम्बर 242 की न होकर भिन्न खसरा नम्बरों की है। नक्षा ट्रेस एनक्सचर – 2 है जिसमें तालाब के एवं नहर के खसरे का अंकन किया हुआ है। इस प्रकार अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं हुए हैं।

विपक्षी नं. 5 तहसीलदार सीमलवाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब में रेफरेंस में प्रार्थीगण द्वारा अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया है एवं अपने जवाब में स्पष्ट किया कि खसरा नं. 242 रकबा 0–07 जो कि नहर रेकर्ड में दर्ज है एवं उक्त आराजी नं. से सीमलवाडा तालाब के ओटे का ओवरफ्लो पानी की निकासी होती है एवं गांव का गंदा पानी भी इसी नाले से गुजरता है उक्त भूमि वर्तमान में अतिक्रमण रहित एवं खुले नाले के रूप में है, तालाब के पानी की निकासी का यह एक मात्र रास्ता है ।

तहसीलदार सीमलवाडा की ओर से खसरा नम्बर 242 रकबा 0–07 बिस्वा की गिरदावरी प्रस्तुत की गई है जिसमें मौके पर किसी प्रकार की काश्त किया जाना प्रमाणित नहीं है इस प्रकार विवादित आराजी की भूमि मौके पर नाले के रूप में तालाब के पानी निकासी का ओटे से ओवरफ्लो होकर वर्तमान में भी नाले के रूप में स्थित है इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा भूमि क्रय किया जाना बताया जाता है जो कि बिना कब्जे के बिकावनामा संपादित करवाया जाकर बे नामी खातेदार बने हुए हैं । इस प्रकार आज दिन तक किसी भी पक्षकार का नाले की भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 0–07 बिस्वा पर कब्जा नहीं होने से विपक्षीगण के खातेदारी अधिकार जो कि नाले की भूमि पर दिये गये हैं, को विलोपित किया जाना न्याय हित में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.26 10:27:47 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 6 सरपंच ग्राम पंचायत सीमलवाडा द्वारा अपने जवाब में रेफरेंस में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया है एवं खसरा नम्बर 242/2 जिसका बढता नम्बर 2662/242 जो कि मीरादेवी द्वारा 0–03 बिस्वा भूमि क्रय की है पर निर्माण करने की चेष्टा कर स्वीकृति चाही गई जिस पर नहर की भूमि एवं तालाब का एक मात्र ओवरफ्लो पानी निकासी का मार्ग होने से किसी प्रकार की निर्माण स्वीकृति जारी नहीं की गई है फिर भी विपक्षी जबरन निर्माण करने नहर/नाले की सीमाओं को तोड कर निर्माण करने की चेष्टा करते रहते हैं ।

उपभय पक्षों की बहस समाअत की गई जिस पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से रेफरेंस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए खसरा नम्बर 242/2 रकबा 0–07 बिस्वा के लिए दिये गये खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाकर किस्म नहर रखी जाने एवं किसी भी विपक्षी को किसी प्रकार का निर्माण इस खसरे पर नहीं करने हेतु आदेशित किया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस के दौरान जाहिर किया कि आराजी किसी प्रकार से आवंटन नहीं हुई और न ही रेग्युलराईज हुई है इसलिए सेटलमेन्ट खाते की आराजी को किसी प्रकार से खाते से विलोपित करने का अधिकार न्यायालय को नहीं है ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुलरहमान बनाम राजस्थान सरकार दिनांक 2 अगस्त 2004 को प्रकरण संख्या 1536/2003 डी बी सिविल रिट पीटीशन में आदेश पारित कर नदी, नाले, तालाब आदि की भूमि को किसी भी व्यक्ति के नाम से खातेदारी अधिकार नहीं दिये जावे एवं भूमि की किस्म परिवर्तन नही किया जावे। इसके अलावा प्रार्थीगण की ओर से कई न्यायिक द्रष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं –

1– 2010(1) आर आर टी 105 रेवेन्यु बोर्ड राजस्थान अजमेर – राजस्थान राज्य बनाम बेगाराम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 232 – रेफरेंस – अपोषणीयता का अभिवाक्– रेफरेन्स कलेक्टर व बोर्ड के बीच मामला है और रेफरेन्स का निजी तोर पर कलेक्टर द्वारा अथवा उसके एडवोकेट द्वारा पेश करना घातक नही है – नियम 35 प्रक्रियात्मक पहलू है– कार्यवाही में भारी आवैधता, अनौचित्यता अथवा अनियमितता तकनीकी और प्रकियात्मक आधार पर निर्णीत नहीं की जा सकती – निर्णित , रेफरेंन्स पोषणीय है। (पेरा 7 – 8)

2– 2020(2) आर आर टी 941 रेवेन्यु बोर्ड राजस्थान अजमेर राज्य बनाम डालसिंह

3– 2016–17 (सप्ली.) आर आर टी 224 रेवेन्यु बोर्ड राजस्थान अजमेर राजस्थान राज्य बनाम चीतार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 – धारा 82 – राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 – धारा 16 – "जेर–आब–नाली" के रूप में दर्ज भूमि अवैध रूप से अप्रार्थी के नाम नियमित की– अप्रार्थी के नाम को विलोपित करने हेतु रेफरेन्स –एसी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रतिभूत नहीं होते – निर्णित, विवादित भूमि ' [illegible] ' और ' जेर –आब–नाली के रूप में बहाल की गई [illegible] या। (पेरा 7,8,9)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.26 10:27:47 IST
Reason: SelfAttested

4– 2014–15 (सप्ली) आर आर टी 291 रेवेन्यु बोर्ड राजस्थान अजमेर राजस्थान राज्य बनाम सामन्ता रामप्रसाद भारोसी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 82– इन्द्राज को अपास्त करने हेतु रेफरेन्स–भूमि और मुमकिन नाली के रूप में दर्ज थी, अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज की – नाली के रूप में दर्ज भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते – सक्षम प्राधिकारी का आदेश नहीं – निर्णीत, अप्रार्थी के नाम किया इन्द्राज विलोपित किया गया। (पेरा 5,6,7)

5– 2014–15 (सप्ली) आर आर टी 522 रेवेन्यु बोर्ड राजस्थान अजमेर राज्य बनाम ब्रीजेश कुमार एवं अन्य (पेरा 6,7)

6– 2018(2) आर आर टी 1390 रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान अजमेर राजस्थान राज्य बनाम श्री राम, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956–धारा82–गैरमुमकिन नाला दर्ज भूमि की खातेदारी अपास्त करने हेतु रेफरेन्स – संवत 2005 की जमा बन्दी में भूमि गैर मुमकिन नाला दर्ज थी – ऐसी भूमि का आवंटन या नियमन अनुज्ञेय नहीं है – निर्णीत, रेफरेंन्स स्वीकार किया और खातेदारी अपास्त की तथा भूमि गैर मुमकिन नाला दर्ज की गई। (पेरा 5,7)

7– 2018 (2) आर आर टी 1496 रेवेन्यु बोर्ड राजस्थान अजमेर राज्य बनाम सुबुधी एवं अन्य पेरा 6, 7, 8)

8– 2018(2) आर आर टी 1503 रेवेन्यु बोर्ड राजस्थान अजमेर राज्य बनाम जुगली (पेरा– 6,7) जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नाले की भूमि को नाले के रूप में ही रखी जाकर अप्रार्थीगण का नाम खाते से विलोपित किया गया।

उभय पक्षों की बहस समाअत किये जाने के पश्चात् हमारे द्वारा रेफरेंस पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज से एवं ग्राम पंचायत सीमलवाडा के जवाब एवं तहसीलदार सीमलवाडा के जवाब में बताये गये तथ्यों पर मनन किया।

सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किये जाने के पश्चात् खसरा नम्बर 242/2 रकबा 0–07 बिस्वा सीमलवाडा तालाब के ओटे का ऑवरफ्लो पानी की निकासी का एक मात्र नाला है और इसी नाले से तालाब के पानी की निकासी होकर एक मात्र यही रास्ता है। साथ ही गांव के गंदे पानी की निकासी भी इसी नाले से होती है। यदि नाला किसी प्रकार से अवरूद्व होकर इस पर निर्माण होता है तो बारिश के समय, या अतिवृष्टि आपदा के समय तालाब के पानी की निकासी रूक जावेगी और इससे भारी जन हानि होने की संभावना है। प्रथम सेटलमेन्ट संवत 2014 में खसरा नम्बर 481 रकबा 1) बीघा पडत रकबा था जो द्वितीय सेटलमेंट हाल सेटलमेन्ट संवत 2019 में खसरा नं. 242 का अंकन होकर नहर के रूप में अंकित है। इस प्रकार सेटलमेन्ट के समय से ही खसरा नं. 242 नहर के रूप में रेकर्ड में अंकित चला आ रहा है जो यथावत रखा जाना जन हित में उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होता है ।

इस प्रकार किसी भी नाले, नदी, नहर की भूमि पर किसी भी पक्षकार को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों को देखते हुए प्रार्थीगण का रेफरेंस पीटीशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.26 10:27:47 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि :–

कियात्मक आदेश

अतः रेफरेंस प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा सीमलवाडा के खसरा नं. 242/2 रकबा 0–07 बीघा किस्म नहर है जो वर्तमान संवत 2073 के खसरा नम्बर 2662/242 रकबा 0–03 तीन बिस्वा किस्म नहर खातेदार श्रीमती मीरा देवी पत्नि धनेश्वर पाटीदार के खाता नं. 628 के खाते में से एवं खसरा नं. 242/2 किस्म नहर रकबा 0–04 खाता नं. 238 खातेदार श्रीमती गीतादेवी पत्नी भगवतीशंकर आचार्य के नाम खातों में से विलोपित किया जाकर किस्म नहर श्री सरकार नहर अंकित की जावे। तहसीलदार सीमलवाडा को आदेशित किया जाता है कि नहर की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण या अतिक्रमण किया जाता है या किया जाना पाया जाता है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटावे/ विध्वंश करावें। तहसीलदार सीमलवाडा इसकी पालना करावें एवं रेवेन्यु रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार सीमलवाडा को पालनार्थ निर्णय की एक प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08/02/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.26 10:27:47 IST
Reason: SelfAttested